# न्यायालय,भूमि सुधार उप समाहर्ता,अरवल।

## भू हदबंदी वाद सं० 4/11–12

## रेवती रमण सिंह वनाम् आशा सिन्हा एवं अन्य

## आदेश

13.10.12 आवेदक रेवती रमण सिंह पिता स्व०वागेश्वरी प्रसाद सिंह ग्राम उसरी बाजार थाना मेहन्दिया जिला अरवल ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से भू–हदबंदी अधिनियम की धारा 16(3) के अन्तर्गत वाद दायर किया है। विवादित भूमि जो ग्राम उसरी बाजार थाना मेहन्दिया जिला अरवल में अवस्थित है निम्न है–

| खाता | खेसरा | रकवा | चौहद्दी |
|---|---|---|---|
| 287/283 | 3992/2904 | 60 डी० | उ० रामाशीष सिंह<br>द० पुजेरी शर्मा<br>पू० रेवती रमण सिंह<br>प० नवल किशोर शर्मा वगैरह |
| 287/281 | 3924/2906 | 62 डी० | उ० नरेश सिंह<br>द० रामाशीष सिंह<br>पू० रेवती रमण सिंह<br>प० नवल किशोर सिंह वगैरह |

वाद की प्रविष्टि की गई। उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर वाद की सुनवाई की गई।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि :–

(1) विवादित जमीन विपक्षी सं० 1 से 3 आशा सिन्हा पति सत्येन्द्र कुमार सिन्हा,संजय कुमार सिन्हा पिता स्व० इन्द्रदेव नारायण सिंह और मु० शांति कुँवर पति स्व०इन्द्रदेव नारायण सिंह ग्राम कोनीकुट्टी थाना मेहन्दिया जिला अरवल की थी जिसे उन्होंने दिनांक 23.11.10 को पंजीकृत विक्रय पत्र के द्वारा विपक्षी सं० 4 यशोदा देवी पति मोती शर्मा ग्राम उसरी थाना मेहन्दिया जिला अरवल के हाथ बिक्री कर दिया ।

(2) आवेदक उक्त जमीन के पूरब अरिया रैयत है जिसका खाता 287 खेसरा 2922 एवं 2924 है।

(3) उपरोक्त जमीन आवेदक को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 11.05.92 के द्वारा नरेन्द्र सिंह वगैरह से प्राप्त है।

(4) आवेदक ने नियामानुसार ट्रेजरी चालान न०173879 के द्वारा दस प्रतिशत लाभांश के साथ दिनांक 30.12.10 को इस न्यायालय में जमा किया है।

(5) आवेदक ने न्यायालय में आवेदन दाखिल करने के पूर्व आवेदन की प्रति रजिस्टर्ड डाक से विपक्षीगण को भेजने का प्रमाण में डाकधर का रसीद भी दाखिल किया है।

(6) आवेदक का आवेदन नियम के अनुसार फार्म एल०सी० 13 में दाखिल है

और इस पर आवेदक का दस्तखत भी नियमानुकुल है।
(7) आवेदक ने विवादित जमीन की चौहद्दी के रैयत रहने के प्रमाण में श्री नरेन्द्र प्रसाद सिंह वगैरह द्वारा आवेदक के पक्ष में लिखित विक्रय पत्र दिनांक 11.05.92 की प्रति दाखिल किया है। इस विक्रय पत्र में भी आवेदक के द्वारा खरीदी गई जमीन कास्त नगदी कायमी दिखलाया गया है। वाद में प्रश्नगत जमीन के केवाला में भी कास्त नगदी धनहर वर्णन है। इस प्रकार विवादी जमीन और इसके बंगल की आवेदक की जमीन दोंनों खेती की जमीन है।
(8) विवादित जमीन के बिक्रय पत्र दिनांक 23.11.10 में विवादित जमीन की प्रकृति कास्त नगदी धनहर दिखलाया गया है। इसलिए विपक्षी का यह दावा कि विवादित जमीन एक झील है और सालोभर पानी में डूबा रहता है,निराधार है।
(9) विपक्षी सं० 4 यशोदा देवी एक भूमिहीन महिला नहीं है। उन्हें ग्राम उसरी में और बगल की बस्ती ग्राम अबगीला थाना करपी में 4 एकड़ 36 डी०खेती की जमीन है। उपरोक्त जमीन विपक्षी 4 एवं उनके पति की संयुक्त है। भू–धारी की परिभाषा अधिनियम में जो दिया गया है उसमें भू–धारी उसके पति और बच्चें सभी एक इकाई माने जाते है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में हकसफा वाद को स्वीकृत कर विपक्षी 4 को आवेदक के पक्ष में प्रश्नगत जमीन का केवाला करने का आदेश पारित करने का अनुरोध आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने किया है।

विपक्षी यशोदा देवी विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–
(1) आवेदक का दावा कि यशोदा देवी के पास ग्राम अबगीला में 2.59 एकड़ जमीन है,गलत है। वस्तुतःउपरोक्त जमीन इजमाल भूमि है जो खतियानी रैयत रामगति मिस्त्री के नाम है जो यशोदा देवी के ससुर थे। रामगति मिस्त्री के चार लड़के थे– तिलकु मिस्त्री, हरिनंदन मिस्त्री,मोती मिस्त्री तथा शिव प्रसाद मिस्त्री । उपरोक्त चारों भाई पूर्व से अलग अलग रहते है जिससे प्रमाण में एकरारनामा निष्पादित कर अभिलेख में दाखिल की गई है।
(2) उपरोक्त 2.59 एकड़ भूमि में यशोदा देवी के पति को मात्र 65 डी०भूमि ही हिस्सा पड़ता है जो सरकारी मापदंड भूमिहीन की परिभाषा के अन्तगर्त है।
(3) कानून का स्थापित नियम है कि पति के जीवित रहते उनके संपति में पत्नी का कोई हक नहीं होता है। यशोदा देवी के पति श्री मोतीलाल शर्मा अभी जीवित है।अतःउनकी संपति में यशोदा देवी का कोई हक नही है।
(4) यशोदा देवी के नाम अंचल अधिकारी कलेर के द्वारा भूमिहीन प्रमाण पत्र निर्गत की गई है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी सं० 4 श्री मती यशोदा देवी एक भूमिहीन महिला है और भूमिहीन ब्यक्ति पर हकसफा कानून लागू नही होता है। अतः हकसफा वाद को खारिज किया जाय।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं वाद में

पोषित कागजातों का अवलोकन किया। आवेदक ने अपने लिखित बहस में स्व०रामगति मिस्त्री वगैरह के नाम से 4.36 एकड धारित भूमि का वर्णन किया है,परन्तु इसके समर्थन में कोई कागजात संलग्न नही है तथा यह सभी भूमियों का वर्णन उनके द्वारा न्यायालय में पूर्व में दाखिल नहीं किया गया है। अतःन्यायायलय द्वारा उपरोक्त भूमि स्व०रामगति मिस्त्री वगैरह के नाम से नही माना जा सकता है। आवेदक द्वारा दिनांक 14.05.12 को दाखिल शपथ पत्र में विभिन्न जमीनों का खाता सं० वो खेसरा सं०दिया गया है,परन्तु रकवा का वर्णन नही किया है। उक्त शपथ पत्र के कंडिका 5 में रामगति मिस्त्री के नाम 2.59 एकड तथा सहोदर भाई के नाम 30.5डी० भूमि के डिमाण्ड कायम होने की बात कहा गया है जिसे माना जा सकता है। विपक्षी सं० 4 यशोदा देवी के विद्वान अधिवक्ता ने भी स्व०रामगति मिस्त्री के नाम धारित 2.59 एकड भूमि को स्वीकार किया है। परन्तु स्व०रामगति मिस्त्री को चार पुत्र है। इस प्रकार उनके प्रत्येक पुत्र का उनकी संपति में मात्र 65 डी जमीन ही होगा । अर्थात,मोतीलाल शर्मा जो विपक्षी 4 यशोदा देवी के पति है को मात्र 65 डी०जमीन है। साथ ही ,पति के जीवित होते उनकी संपति पर पत्नी कोई हक नही है। इस प्रकार विपक्षी 4 यशोदा देवी एक भूमिहीन महिला है और भूमिहीन ब्यक्ति पर हकसफा वाद नही चलाया जा सकता है। वाद को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

13.10

प्राधिकार भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल ।

लेखापित एवं संशोधित

13.10

प्राधिकार भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

15/10/2012